परियोजना का नाम	:–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत टिहरी के चम्बा विकास खण्ड में बादशाहीथौल से सोंदकोटी–लामकोट के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजागार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यकम संचालित किया गया हैं। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्रांक :– 1697 / पी03–14 / यू0आर0आर0डी0ए0 / 13 दिनाक 10.09.2013 उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया हैं। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट सौन्दकोटी (Pop-1506), केमवालगॉव (Pop-436), लामकोट (Pop-510) की आवादी अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्वध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेंणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि **1.530** है0, सिविल सोयम भूमि **0.675** है0 एवं वन पंचायत भूमि **0.000** है0, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, एवं आरक्षित वनभूमि **0.140** है0, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु **2** संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

संरेखण नं0 1 :– के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद नई टिहरी में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत यह मार्ग चम्बा से नई टिहरी मोटर मार्ग के कि0मी0 5 से प्रारम्भ होता है। तथा ल0 8.875 कि0मी0 है, इस संरेखण में 8 हेयर पिन बैण्ड हैं। उक्त मोटर मार्ग पर लो0नि0वि0 चम्बा द्वारा 6.225 कि0मी0 लम्बाई में स्टेज–। का कार्य करवाया गया था, तथा इससे आगे की 2.650 कि0मी0 लम्बाई के लिये इस संरेखण में अतिरिक्त सिविल, वन भूमि एवं नाप भूमि आती है, इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष प्रभावित कमं होते है तकनिकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

संरेखण नं0 2 :– के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद नई टिहरी में विकासखण्ड चम्बा के अन्तर्गत यह मार्ग चम्बा से नई टिहरी मोटर मार्ग के कि0मी0 5 से प्रारम्भ होता है। तथा ल0 10.00 कि0मी0 है , इस संरेखण में 12 हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित थे। इस समरेखण से स्थानीय जनता असहमत है, चूँकि समरेखण की ल0 अधिक है, इस समरेखण में नाप भूमि, सिविल भूमि, वन भूमि की भी अधिकता है जिस कारण भी स्थानीय जनता असहमत। अतः तकनिकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण **नं0 2** को निरस्त कर संरेखण **नं0 1** को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण **नं01** को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः **8.875** कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार **9** मीटर चौड़ाई में आने वाली **0.675** है0 सिविल सोयम ,तथा **7** मीटर चौडाई में आरक्षित वनभूमि **0.140** है0 कुल अपेक्षित भूमि **0.815 है0** प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ट अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,
खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी